भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 835**

**22 दिसंबर, 2017 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: किसानों को लाभकारी मूल्य**

**835. श्री नीरज शेखरः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान वर्ष के दौरान विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों को अपने कृषि उत्पाद घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आत्महत्या करने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार की बार-बार विफलता के क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क) और (ख): कृषि उत्‍पाद का मूल्‍य बाजार में मांग और आपूर्ति की स्‍थितियों द्वारा दैनिक आधार पर निर्धारित होता है। सरकार कृषि लागत और मूल्‍य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर मुख्‍य कृषि फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) निर्धारित करती है। मूल्‍य नीति संबंधी अपनी सिफारिशें तैयार करते समय, सीएसीपी विभिन्‍न महत्‍वपूर्ण कारकों पर विचार करता है जिनमें खेती की लागत, बाजार मूल्‍यों में प्रवृत्‍तियां, मांग और आपूर्ति स्‍थिति, सामान्‍य मूल्‍य स्‍तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव आदि शामिल हैं। नई फसलों के बड़े पैमाने पर बाजार आवक के कारण कटाई मौसम के बाद कृषि उत्‍पादों का मूल्‍य कम हो जाता है। सरकार मजबूरीवश दबाव में उत्‍पाद बेचने से किसानों को बचाने के लिए एमएसपी निर्धारित करती है।

मंडियों में थोक मूल्‍य और विभिन्‍न फसलों के लिए निर्धारित एमएसपी संबंधी आंकड़ों के अनुसार, यह पाया गया है कि कुछ मंडियों में एमएसपी थोक मूल्‍य से कम है जिनमें मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र और उत्‍तर प्रदेश शामिल हैं किंतु, अखिल भारतीय आधार पर विपणन मौसम के लिए औसत थोक मूल्‍य की तुलना करने पर केवल कुछ फसलें (मुख्‍यत: कुछ दलहन और तिलहन) के लिए एमएसपी से कम थोक मूल्‍य प्राप्‍त हो रहा है, जिसका कारण इन फसलों की मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाले मौसमी और चक्रीय कारक हैं।

(ग): किसानों को कृषि उत्‍पादों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य सुनिश्‍चित करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें क्षेत्रों की संभाव्‍यता के मद्देनजर खरीद केन्‍द्रों की स्‍थापना; किसानों में एमएसपी प्रचालनों के बारे में जागरूकता लाना; विकेन्‍द्रीकृत खरीद को प्रोत्‍साहित करना; ई-खरीद प्रणाली अपनाना; कुछ राज्‍यों में खरीद प्रचालनों में निजी क्षेत्र को शामिल करना; ई-राष्‍ट्रीय कृषि बाजार का कार्यान्‍वयन; किसान उत्‍पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस) चलाती है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्‍य का भुगतान सुनिश्‍चित हो।

गृह मंत्रालय के अधीन राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) अपने ‘भारत में आकस्‍मिक मृत्‍यु और आत्‍महत्‍याएं’ (एडीएसआई) शीर्षक अपने प्रकाशन में आत्‍महत्‍याओं संबंधी सूचना संकलित और प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ‘दिवालिया होना या ऋणग्रस्‍तता’ और ‘खेती से संबंधित मुद्दे’ किसानों/खेतीहरों के बीच आत्‍महत्‍याओं के मुख्‍य कारण बताएं गए हैं। किसानों/खेतीहरों की आत्‍महत्‍याओं के अन्‍य प्रमुख कारण हैं पारिवारिक समस्‍याएं, बीमारी आदि। उधार लेने के गैर-संस्‍थागत स्रोतों से ऋणग्रस्‍तता कम करने के लिए सरकार द्वार किए गए उपायों में कृषि ऋण प्रवाह में सुधार के लिए वार्षिक लक्ष्‍य निर्धारित करना, बैंकों द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान समय सूची के अनुसार अपने ऋण का पुनर्भुगतान करने वाले किसानों के लिए रियायती फसल ऋण की सीमा बढ़ाने का प्रावधान आदि शामिल हैं।

\*\*\*\*